

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	765 के.व्ही डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़(तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण								
2	आवेदक का नाम	गोवा तमनार ट्रान्समीशन प्रोजेक्टस लिमिटेड								
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग की गई	विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण								
4	आवेदक क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना क्षेत्र						
		कोरबा	कोरबा							
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण									
अ)	वन विभाग के अधिन भूमि में :-									
कं	प्रस्तावित वन भूमि के लिए परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	वन खण्ड	कक्ष कं	वन क्षेत्र में विद्युत पारेषण लाईन की लम्बाई(मी)	विद्युत पारेषण लाईन की चौड़ाई (मी)	प्रभावित रकबा (हे०)	साईट क्वालिटी	घनत्व
1		कोरबा	करतला	संरक्षित वन	1151	617.761	67	4.139	IVB	0.5-0.7
2				संरक्षित वन	1160	349.552	67	2.342	IVB	0.5-0.7
3				नारंगी वन	OA 1484	647.761	67	4.340	IVB	0.5-0.7
4				नारंगी वन	OA 1465	165.522	67	1.109	-	0.2-0.4
5				नारंगी वन	OA 1468	353.433	67	2.368	-	0.2-0.4
6		कोरबा	नारंगी वन	OA 1302	1049.403	67	7.031	IVB	0.5-0.7	
योग:-						3183.432		21.329		

ब) राजस्व विभाग के अधिन वन भूमि में :-

कं	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के लिए परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा नं	वन क्षेत्र में विद्युत पारेषण लाईन की लम्बाई(मी)	विद्युत पारेषण लाईन की चौड़ाई (मी)	प्रभावित रकबा (हे०)
1		कोरबा	करतला	केरवांद्वारी	537	129.403	67	0.867
2					581 / 1	243.582	67	1.632
3					53 / 1	3.582	67	0.024
4					272 / 1	195.075	67	1.307
5					277 / 1	164.030	67	1.099
6					30 / 1	9.552	67	0.064
7					24 / 1	443.582	67	2.972
8				डोंगाआमा	329 / 1	8.507	67	0.057
9					252	260.149	67	1.743
10					234 / 1	99.552	67	0.667
11					233	53.433	67	0.358
12					231 / 1	29.104	67	0.195
13					226	174.179	67	1.167
14					221 / 1	41.045	67	0.275
15				नवापारा	96 / 1	41.493	67	0.278
16				जोगीपाली	58 / 2	204.328	67	1.369
17				नोनदरहा	533 / 1	561.940	67	3.765
18					850	14.478	67	0.097
19					155 / 1	116.716	67	0.782
20					200 / 1	2.687	67	0.018
21					538 / 3	11.642	67	0.078
22					541 / 1	93.731	67	0.628

क्रं	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के लिए परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा नं	वन क्षेत्र में विद्युत पारेषण लाईन की लम्बाई(मी)	विद्युत पारेषण लाईन की चौड़ाई (मी)	प्रभावित रकबा (हे०)
23					170 / 1	13.582	67	0.091
24					584 / 1	40.000	67	0.268
25				बोतली	1489 / 1	258.806	67	1.734
26			कोरबा		1194	384.478	67	2.576
27				गिधौरी	1200	633.881	67	4.247
28					1293	32.090	67	0.215
29				जूनवानी	460 / 1	317.313	67	2.126
30				डोंगदरहा	650 / 1	506.866	67	3.396
31					650 / 3			
योग:-						5088.806		34.095
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति	आवेदित वन क्षेत्र में साल वन एवं अन्य मिश्रित प्रजाति का वन IV B गुणवत्ता वर्ग का है जिसका औसत घनत्व 0.2-0.7 है।						
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वन क्षेत्र मिश्रित वन क्षेत्र है जिसमें साल,साजा,हलदु,बीजा,शीशम आदि मौजूद है।						
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सुधार प्रबंध 2500 प्रति हेक्टेयर						
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरण में) मुख्य मार्ग से (पी.डबलू डी/वनमार्ग) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	आवश्यकता नहीं है।						
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी (Ecological Sensitive) क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,अभ्यारण्य,प्राकृतिक झील, आदिवासी सेंटलमेंट क्षेत्र,धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है। वचन पत्र संलग्न है।						
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	आवश्यकता नहीं है।						
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं/ यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।						

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थान :- Korba, Kattala Range.

दिनांक:- 13.02.2019

वनमण्डल अधिकारी
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

13 कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये संबंधित उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस
[Diversion of Forest land (55.424 ha.) for 765 KV Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar)

Pool Transmission Line]

The Proposed Forest area (55.424 ha.) for diversion for the purpose of 765 KV Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line by the user agency Goa-Tamnar Transmission Project Limited is passing through the forest compartment OA1302, OA 1468, OA 1465, OA 1484, PF 1160, PF 1151 and Revenue Forest Land. The forest area has crown density ranging from 0.3 to 0.4. The forest tree species composition include *shorea robusta* (Sal), *Lagerstroemia parviflora* (Senha), *Diospyros melonoxylon* (Tendu), *Terminalia tomentosa* (Saja), *Madhuca indica* (Mahuwa), *Buchmania lanzan* (Char), *Schiechiera oleasa* (Kusum), *Chloraxylon swietenia* (Bhirra), *Semecarpus anacordium* (Bhilwa), *Baswellia serrata* (Salai) and other associate species. The forest type of the proposed area falls under 3B/C2 Southern Moist mixed deciduous forests. The wildlife (mammals) found in and around the proposed forest area include Elephant, sloth bear, Leopard, Hyena, Wild cat, Jackal, Indian fox, Barking deer, Wild boar, Wild hares, Rhesus macaque, Common Langur.

The Tribal villages located within 5Km radius of the proposed forest area include Dongdarha, Raunadhap, Chitapali, Jogipara, Paharipara, Dadarkala, Nondharha, Duwari, Barkona, Tenganmar, Jogipali, Rampur, Botali, Sendripali, Nawadih, Tembabhata, Saraibhata, Kerwa, Kerwaduvari, Fattaganj, Dongaama, Sardih, Pidiya, Ghinara, Nawapara, Bandhapara. The Tribal people of these villages depend on the above proposed forests for Cattle grazing, fuelwood, collection of non wood forest products like tendu patta, mahuwa, chironji, sal seed etc. for their bonafide use. The proposed forest area forms the catchment area for the Hasdeo river which is perennial (milli-watershed code 4G2D1C4, 4G2D1D4, 4G2C6B2, 4G2G6C2, 4G2C8B4, 4G2C9D4, 4G2C6B3).

The diversion of 55.424 ha for the proposed project would create additional biotic pressure (fuel wood and Non wood forest produce collection, grazing etc) on the adjoining forest areas. The removal of native vegetation for transmission line in the proposed forest areas would result in fragmentation of forests, loss of wildlife natural habitat, create imbalance in the function of watershed, accelerate the Human-Wildlife conflict, disturbance to wildlife corridor and avifauna habitat, invasion of alien species (weeds), decline in non-wood forest produce production which will threaten the nistar rights and livelihood of tribal communities etc.

The proposed forest area is highly prone to Human-wildlife conflict which is evident from the compensation that is being paid to the affected tribal's / villagers for the damage caused by elephants and sloth bear. The nature of damage includes human casualty, human injury, crop damage and other property damage. The proposed forest area for diversion forms part of the proposed Lemru-Korba elephant reserve in the Korba forest division.

The proposed project (Diversion of Forest land 55.424 ha for 765 KV Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line) is strictly not recommended.


S. Venkatachlam, I.F.S.
Divisional Forest Officer
Korba Division Korba